सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 14, सोमवार, *शाके* 1945-मार्च 04, 2024
Phalguna 14, Monday , Saka 1945- March 04 , 2024

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 13, 2023

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-6/2023/डी-3505 :- मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-5 में स्थित ग्राम बीडसरकारी तहसील जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 3/236, 5/237 (हॉल खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 1.68 हैक्टेयर 5/237 क्षेत्रफल 1.9602 हैक्टे.) क्षेत्रफल 37190.38 व.मी. में से क्षेत्रफल 22565 व.मी. भूमि (वाल्मिकी गृ.नि.स.स. की योजना भवानी निकेतन कॉलोनी) का औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग उपान्तरण हेतु आम सूचना दिनांक 14.07.2022 द्वारा समाचार पत्र, समाचार जगत एवं नवभारत टाईम्स में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गऐ थे, 07 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 15वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 एवं मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक-टीपीआर 1120/एसएलसी/जविप्रा जयपुर/02/ 2023/2186 दिनांक 22.03.2023 अनुसार राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 173वीं बैठक दिनांक 24.02.2023 द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई हैः-

1.आवेदित भूमि जोनल विकास योजना-5 एवं सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 30 मीटर, 30 मीटर एवं 9 मीटर चैडी सड़क से प्रभावित है। उक्त के क्रम में जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़को में आ रही आवेदित भूमि के भाग को छोड़कर शेष भूमि के ही भू-उपयोग परिवर्तन के अन्तिम आदेश जारी किये जावे।

2.रेलवे सीमा से लगते हुए योजना के भूखण्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार कार्यवाही की सुनिश्चिता की जानी होगी।

3.आवेदित भूमि के निर्विवादित भू-स्वामित्व, पैमाईश, क्षेत्रफल, न्यायिक वाद/विधिक रोक/आपत्ति, प्रतिबंधित क्षेत्र आदि की जांच तथा भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 टाउनशिप पॉलिसी, भवन विनियमों के प्रावधानों व अन्य तत्संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रो/निर्देशों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समस्त कार्यवाही एवं समस्त देय शुल्कों की सुनिश्चितता की जावेगी।

4.यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जावेगा।

-:उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित ग्राम बीडसरकारी तहसील जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 3/236, 5/237 (हॉल खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 1.68 हैक्टेयर 5/237 क्षेत्रफल 1.9602 हैक्टे.) क्षेत्रफल 37190.38 व.मी. में से क्षेत्रफल 22565 व.मी. भूमि का मास्टर विकास योजना-2025 एवं जोनल विकास योजना-5 में प्रस्तावित भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग उपान्तरण किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13-12-2023 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होनें के पश्चात् ही मान्य होगी।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।